<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट सं०- 14, बाराबंकी</u>

मूलवाद सं०-323/1999

CNR No UPBB180000031999

सन्तोष कुमार आदि बनाम शाहिद अली आदि

<u>16.08.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र क-142 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं० 3 सुहेल अली की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थना पत्र कायम मुकामी वर्ष 2014 में दिया गया था जिसमें 3 अवयस्क पहले से ही वयस्क हो गये थे केवल मो० सैफ अवयस्क था जिसकी आयु सन् 2022 में 16 वर्ष थी वह भी अब वयस्क हो गया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त प्रार्थना पत्र क -142 में वर्णित आधारों पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामी तथा वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादीगण की ओर से हर्जे हेतु आपत्ति की गई है।

उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती। प्रतिवादीगण को भी कोई तात्विक हानि नहीं है। जहां तक आपत्ति का प्रश्न है तो उसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र क- 142 मु० 200/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र क- 142 मु० 200/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदायगी उपरान्त संशोधन अन्दर सात दिन करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27.08.2024 को पेश हो।

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

सिविल जज (जू०डि०),

रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।